

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

क्र.सं.	नाम कार्मिक	विषय	कहाँ से (राउमावि)	कहाँ को (राउमावि)
1	गिरधारी लाल	भौतिक	अंजुमन सरदारशहर, चूरु	बीनासर, चूरु
2	जितेन्द्र मोहन गुप्ता	गणित	झालावाड से राउमावि सुनेल, झालावाड के आदेश पर	भवानीमण्डी, झालावाड
3	मनमोहन शर्मा	गणित	बडगांव, कोटा से गोला का बास, अलवर के आदेश पर	डाईट, कोटा
4	हर्षिता जैन	भौतिक	भिनाय, अजमेर	चांग-रायपुर, पाली
5	हेमन्त कुमार जाटव	भौतिक	मसूदा, अजमेर	मायापुर पीसांगन, अजमेर
6	पूनम जीधा	गणित	जमवारामगढ, जयपुर	मुण्डावर, अलवर
7	मुकेश कुमार गर्ग	गणित	मुण्डावर, अलवर	आदेशों की प्रतीक्षा जिशिअ-मा,अलवर
8	विष्णुलता धाकड	गणित	कोठिया, भीलवाडा	सुवाणा, भीलवाडा
9	गुरबन्ध सिंह	भौतिक	नई मंडी घडसाना, गंगानगर	29 बीबी पदमपुर, गंगानगर
10	अरविन्द कुमार वर्मा	गणित	पीपाडशहर, जोधपुर	जीवाणा, अलवर

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक: 11.06.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे । जिन कार्मिकों का परीवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे । RVRES के कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थान पर स्थानान्तरण पर कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं किया जावे । लम्बे समय से अनुपस्थित/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित किया जावे । यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण विधवा/दिव्यांग कार्मिक के विरुद्ध हो गया है तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे अन्यथा संस्था प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी । एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे । पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक के कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित उपनिदेशक कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें । सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति अनिवार्य रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही की जावे ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

दिनांक: 05/06/18

कर्मोक्तक्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/पदस्थापन-स्थाना./2018-19/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

01. प्रमुख शासन सचिव-शिक्षा, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. उपशासन सचिव शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
04. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर
04. संबंधित उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)
06. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक
07. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक-कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर